[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2015

G.S.R. .... (E). - In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 462 read with section 406 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and in supersession of notification number GSR 517(E), dated the 31st August, 2006 and GSR 326(E), dated the 8th April, 2011 or any other notification issued under section 620A of the Companies Act, 1956, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in the interest of public, hereby directs that certain provisions of the Companies Act, 2013, as specified in column (2) of the Table, shall not apply or shall apply with such exceptions, modifications and adaptations, as specified in column (3) of the said Table, to *Nidhis*, namely:-

Serial No.	Provisions of the Companies Act, 2013	Exceptions, modifications and adaptations
(1)	(2)	(3)
1.	Sub-section (2) of section 20	Shall apply subject to the modification that in the case of a Nidhi, the document may be served only on members who hold shares of more than one thousand rupees in face value or more than one per cent. of the total paid-up share capital of the Nidhis whichever is less. For other shareholders, document may be served by a public notice in newspaper circulated in the district where the Registered Office of the Nidhi is situated; and publication of the same on the notice board of the Nidhi.
2.	Section 42 except sub-section (1), explanation (II) to sub-section (2), sub-sections (4), (6),	Shall not apply.

	(8), (9) and (10)	
3.	Clause (b) of sub-section (1) of section 47	Shall apply, subject to the modification that no member shall exercise voting rights on poll in excess of five per cent. of total voting rights of equity shareholders.
4.	Section 62	Shall not apply.
5.	Sub-section (1) of section 67	Shall not apply, when shares are purchased by the company from a member on his ceasing to be a depositor or borrower and it shall not be considered as reduction of capital under section 66 of the Companies Act, 2013.
6.	Sub-section (5) of Section 123	Shall apply, subject to the modification that any dividend payable in cash may be paid by crediting the same to the account of the member, if the dividend is not claimed within 30 days from the date of declaration of the dividend.
7.	Section 127	Shall apply, subject to the modification that where the dividend payable to a member is one hundred rupees or less, it shall be sufficient compliance of the provisions of the section, if the declaration of dividend is announced in the local language in one local newspaper of wide circulation and announcement of the said declaration is also displayed on the notice board of the Nidhis for at least three months.
8.	Sub-section (1) of Section 136	Shall apply, subject to the modification that, in the case of members who do not individually or jointly hold shares of more than one thousand rupees in face value or more than one per cent. of the total paid-up share capital whichever is less, it shall be sufficient compliance with the provisions of the section if an intimation is sent by public notice in newspaper circulated in the district in which the Registered Office of the Nidhi

		is situated stating the date, time and venue of Annual General Meeting and the financial statement with its enclosures can be inspected at the registered office of the company, and the financial statement with enclosures are affixed in the Notice Board of the company and a member is entitled to vote either in person or through proxy.
9.	Section 160	In sub-section (1), for the words "one lakh rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted.
10.	Section 185	Shall not apply, provided the loan is given to a director or his relative in their capacity as members and such transaction is disclosed in the annual accounts by a note.
11.	Second proviso to sub-section (1) of section 197	Shall apply with the modification that the remuneration of a director who is neither managing director nor whole-time director or manager for performing special services to the Nidhis specified in the articles of association may be paid by way of monthly payment subject to the approval of the company in general meeting and also to the provisions of section 197 : Provided that no approval of the company in general meeting shall be required where,— (a) a Nidhi does not have a managing director or a whole-time director or a manager; (b) the remuneration payable during a financial year to all the directors of the Nidhi does not exceed ten per cent. of the net profits of such Nidhi or fifteen lakh rupees, whichever is less; and (c) a remuneration payable under clause (b) is approved by a special resolution passed in this behalf by the Nidhi.

12.	Section 403	Shall apply, with the modification that the filing fees in respect of every return of allotment under sub-section (9) of section 42 shall be calculated at the rate of one rupee for every one hundred rupees or parts thereof on the face value of the shares included in the return but shall not exceed the amount of normal filing fee payable.

2. The Nidhis, while complying with such exceptions, modifications and adaptations, as specified in column (3) of the aforesaid Table, shall ensure that the interests of their shareholders are protected.

3. A copy of this notification has been laid in draft before both Houses of Parliament as required by sub-section (2) of section 462 of the Companies Act, 2013.

[F No 2/11/2014-CL.V]

05/06/2015

Amardeep Singh Bhatia

Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशन हेतु]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2015

सा.का.नि. **(अ.)** - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 406 के साथ पठित धारा 462 उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तारीख 31 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.517(अ) और 08 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.326(अ) अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क के अधीन जारी किसी अन्य अधिसूचना को अधिक्रांत करते हुए, सिवाय उन बातों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है अथवा करने से लोप किया गया है, लोकहित में यह निदेश देती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के कतिपय उपबंध, जो सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, के किन्ही निधियों को उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित लागू नहीं होगें या लागू होगें, अर्थात् :-

क्र.सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंध	अपवाद, उपांतरण और अनुकूलन
(1)	(2)	(3)
1.	धारा 20 की उपधारा 2	इन उपांतरणों के अधीन रहते हुए, लागू होगी कि किसी निधि के मामले के दस्तावेज की तामील केवल उन्ही सदस्यों पर की जा सकेगी जिनके पास अंकित मूल्य के एक हजार रूपए से अधिक के शेयर या निधियों की कुल समादत्त शेयरपूंजी एक प्रतिशत से अधिक, इनमें से जो भी कम हो, धारण करता है। अन्य शेयरधारकों के लिए, दस्तावेजों की उस जिले में, जहां निधि का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, परिचालित समाचार पत्रों में किसी लोक सूचना द्वारा और उस दस्तावेज की निधि के सूचनापट्ट पर प्रकाशित करके तामील की जा सकेगी।
2.	धारा 42, उसकी उपधारा (1), उपधारा (2) के स्पष्टीकरण, उपधारा (4), उपधारा (6), उपधारा (8), उपधारा (9) और उपधारा (10) के सिवाय	लागू नहीं होगी।

3.	धारा 47 की उपधारा (1) का खंड (ख)	इस उपांतरण के अधीन रहते हुए, लागू होगा कि कोई भी सदस्य इक्विटी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के पांच प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग मतदान में नहीं करेगा।
4.	धारा 62	लागू नहीं होगी।
5.	धारा 67 की उपधारा (1)	तब लागू नहीं होगी जब कंपनी द्वारा किसी सदस्य से उसके निक्षेपकर्ता या देनदार न रहने पर, क्रय किए गए हों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 के अधीन पूंजी में कमी के रूप में नहीं माना जाएगा।
6.	धारा 123 की उपधारा (5)	इस उपांतरण के अधीन रहते हुए, लागू होगी कि नकद में देय किसी लाभांश का संदाय उस सदस्य के खाते में जमा करके किया जा सकता है, यदि लाभांश की दावा लाभांश की घोषणा के 30 दिन के भीतर नहीं किया जाता है।
7.	धारा 127	इस उपांतरण के अधीन रहते हुए, लागू होगी कि जहां किसी सदस्य को देय लाभांश एक सौ रुपए या उससे कम का है तो यह उस दशा में धारा के उपबंधों का पर्याप्त अनुपालन होगा यदि, लाभांश की घोषणा की सूचना व्यापक परिचालन वाले किसी एक स्थानीय समाचार पत्र में स्थानीय भाषा में दी गई हो और उक्त लाभांश की घोषणा निधियों के सूचना पट्ट पर भी कम से कम तीन मास तक प्रदर्शित भी की गई हो।
8.	धारा 136 की उपधारा (1)	इस उपांतरण के अधीन रहते हुए, लागू होगा कि उन सदस्यों के मामले में जो अंकित मूल्य एक हजार रुपए से अधिक अथवा कुल समादत्त शेयरपूंजी के एक प्रतिशत से अधिक शेयर, इनमें से जो भी कम हो, व्यक्तिक रूप से या संयुक्त रूप से धारण करते हैं, इस धारा के उपबंधों का पर्याप्त अनुपालन होगा यदि उस जिले में जिसमें निधि का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, परिचालित समाचार पत्र में वार्षिक साधारण अधिवेशन की तारीख, समय और स्थान की सूचना देते हुए यह कथन करते हुए लोकसूचना द्वारा यह संसूचना प्रकाशित की गई हो कि कंपनी के वित्तीय विवरण और इसके संलग्नकों का निरीक्षण कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में किया जा सकता है और वित्तीय विवरण संलग्नकों सहित कंपनी के सूचना पट्ट पर लगाया गया हो तथा कोई सदस्य या व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी के माध्यम से मत देने का हकदार है।
9.	धारा 160	उपधारा (1) में "एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएँगे।
10.	धारा 185	लागू नहीं होगी परंतु तब जबकि उधार किसी निदेशक या उसके नातेदार को सदस्य के रूप में उसकी हैसियत में दिया जाए और संव्यवहार का प्रकटन एक टिप्पण द्वारा वार्षिक लेखे में किया जाए।
11.	धारा 197 की उपधारा	इस उपारंतरण के साथ लागू होगा कि निधि के प्रति संगम

	(1) का दूसरा परंतुक	अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट विशिष्ट सेवाओं के अनुपालन के लिए किसी निदेशक को जो न तो प्रबंध निदेशक है न पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक है, पारिश्रमिक का संदाय साधारण अधिवेशन में कंपनी के अनुमोदन के और धारा 197 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मासिक संदाय के रूप में किया जा सकेगा; परंतु साधारण अधिवेशन में कंपनी का अनुमोदन उस दशा में अपेक्षित नहीं होगा जहां कि - (क) निधि में कोई प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक न हो; (ख) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान निधि के सभी निदेशकों को देय पारिश्रमिक ऐसी निधि के शुद्ध लाभ के दस प्रतिशत अथवा पंद्रह लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक न हो; तथा (ग) खंड (ख) के अधीन देय पारिश्रमिक निधि द्वारा इस निमित्त पारित किसी विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित हो।
12.	धारा 403	इस उपांतरण के साथ लागू होगी कि धारा 42 की उपधारा (9) के अधीन आबंटन संबंधी प्रत्येक विवरणी के संबंध में फाइल किए जाने की फीस की गणना, विवरणी में सम्मलित शेयरों के अंकित मूल्य पर प्रत्येक सौ रुपए अथवा उसके किसी भाग के लिए एक रुपए की दर से की जाएगी किंतु वह फाइल किए जाने की साधारण फीस की रकम से अधिक नहीं होगी।

2. निधियां पूर्वोक्त सारणी के स्तम्भ (3) में ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों का अनुपालन करते हुए, अपने शेयरधारकों के हितों की संरक्षा सुनिश्चित करेंगी।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार इस अधिसूचना की एक प्रति संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रारूप रूप में रखी गई है।

[फा.सं.2/11/2014-सीएल-V]

अमरदीप
08/06/2015

(अमरदीप सिंह भाटिया)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार